

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-66/25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
यूको बैंक वसूली विभाग, 461, पाललिक रोड़, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री संजय किरार		<ul style="list-style-type: none">स्वरूप राम पुत्र गोकल राम देवडा म.न. 7, एस.बी.एल.बी. स्कूल के सामने, महादेव नगर ग्राम धोरू, भोपालगढ़, जोधपुरपरमू देवी पत्नी स्वरूप राम म.न. 7, एस.बी.एल.बी. स्कूल के सामने, महादेव नगर ग्राम धोरू, भोपालगढ़, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-18.09.2025

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण स्वरूप राम पुत्र गोकल राम देवडा व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 7,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण स्वरूप राम पुत्र गोकल राम देवडा की जायदाद आवासीय भूखण्ड व मकान जो मकान नम्बर 7, पट्टा नम्बर 35, एस.बी.एल.बी. स्कूल के सामने, महादेव नगर, ग्राम पोस्ट धोरू, तहसील भोपालगढ़, जोधपुर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 6324 वर्ग फीट जिसके उत्तर में मार्ग व चम्पालाल पुत्र गोकलराम का बाड़ा, दक्षिण में कोजाराम पुत्र बद्रीराम का बाड़ा व मकान, पूर्व में चोखाराम पुत्र घेवर राम का बाड़ा व मकान, पश्चिम में कोजाराम पुत्र बद्रीराम का बाड़ा आया हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिभूतिकरण कर दिया। अप्रार्थीगण को



Digitally signed by Chandra Singh Rathod, Designation: Collector & District Magistrate, Date: 2025.09.18 14:11:01 IST Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17861372

ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 25.04.2024 तक 6,28,562.43/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 7,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 25.04.2024 तक 6,28,562.43/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति /सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्तजायदाद स्वरूप राम पुत्र गोकल राम देवडा की जायदाद आवासीय भूखण्ड व मकान जो मकान नम्बर 7, पट्टा नम्बर 35, एस.बी.एल.बी. स्कूल के सामने, महादेव नगर, ग्राम पोस्ट धोरु, तहसील भोपालगढ़, जोधपुर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 6324 वर्ग फीट. जिसके उत्तर में मार्ग व चम्पालाल पुत्र गोकलराम का बाडा, दक्षिण में कोजाराम पुत्र बद्रीराम का बाडा व मकान, पूर्व में चोखाराम पुत्र घेवर राम का बाडा व मकान एवं पश्चिम में कोजाराम पुत्र बद्रीराम का बाडा आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजित की जाय।



आदेश दिनांक 18.09.2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.09.18 14:11:01.IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17861372